



प्रेस नोट

दिनांक 31.10.2025

03 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना राठ व थाना चिकासी से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधी गण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.अभियुक्त- सचिन पुत्र राममिलन राजपूत निवासी ग्राम बहगांव थाना राठ, जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2025 से 06 माह।
- 2.अभियुक्त- रामप्रकाश उर्फ पप्पू झिन्ना पुत्र दुलीचन्द्र निवासी मु0 सिकन्दरपुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2025 से 06 माह।
- 3.अभियुक्त- सचिन पुत्र स्व0 छत्रपाल लोधी निवासी ग्राम चक अमरपुरा थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2025 से 06 माह।